न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 156/2018 निर्णय दिनांक :–05.09.19

उनवानी दावा :

1.प्रहलाद पुत्र पोखर जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी थांवला तहसील देवली, जिला टोंक राज0

2.रामराज पुत्र धन्ना जाट उम्र 35 वर्ष निवासी थांवला तहसील देवली, जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1.रमेश दतक पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली

2.सीता पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली

3.रामकुवरी पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली

4.रामा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली

5.तहसीलदार जी देवली जिला टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादीगण 3 ता 4
के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता जगन्नाथ पुत्र औंकार की खातेदारी की जमीन ख. नं. 32 रकबा 0.49 है0, ख. नं. 33 रकबा 0.59 है0, ख. नं. 137 रकबा 0.31 है0, में से क्रमशः 0.24, 0.26, 0.20 है0 जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1994 को मुबलिग रूपये 38,000/– अक्षरे अड़तीस हजार रूप्ये में खरीदा था और मौके पर जगन्नाथ ने अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा वादीगण को दे दिया था जब से ही वादीगण उकत खरीद शुदा रकबे पर काबिज है। विक्रय पत्र पंजीयन होने के समय वादी सं. 2 नाबालिग था इसलिये विक्रय पत्र जरिये संरक्षक एवं पिता धन्ना जाट के माध्यम से पंजीयन हुआ था, अब वादी सं. 2 बालिग हो चुका है। विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1994 के आधार पर वादीगण के नाम हाल ख. नं. 32 में से 0.24 है0 व ख. नं. 33 में से 0.26 है0 कुल 0.50 है0 भूमि का नामंतकरण सं. 292 खोल दिया गया और राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया तथा उसी नामांतकरण में ख. नं. 137 बाबत यह नोट लगा दिया गया कि उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है इसलिये

उक्त ख. नं. का नामांतकरण नही भरा जा सकता है। जगन्नाथ पुत्र औकर जाट को उक्त भूमि नियमानुसार आवंटित की गई थी और उक्त ख. नं. 137 रकबा 0.31 है0 की गैर खातेदारी से खातेदारी नामांतकरण सं. 78 दिनांक 17.06.1992 द्वारा आंवटन के पश्चात 10 साल पूर्ण होने परी दे दी गई थी और जमाबन्दी सम्वत 2049–52 में उक्त नामांतकरण से खातेदारी का नेाट भी लगवा दिया गया था । इस तरह ख. नं. 137 की खातेदारी जगन्नाथ पुत्र औकार को दे दी गई थी और उक्त जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 तक के आधार, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आधार पर ही उक्त विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1994 को उप पंजीयक महोदय, देवली के यहां सही रूप से पंजीयन किया गया था लेकिन हल्का पटवारी ने जानबूझकर उक्त ख. नं. 137 का नामांतकरण वादीगण के नाम नही खोला है तथा नामांतकरण सं. 78 जो खातेदारी का जगन्नाथ के नाम भरा गया थ, उनका बाद वाली जमाबंदियो में गलत अंकन कर दिया गया जबकि सम्वत 2049 से 2052 की जमाबंदी में ही जगन्नाथ पुत्र औकार को ख. नं. 137 की खातेदारी दे दी गई थी और उसके आधार पर ही उक्त विक्रय पत्र पंजीयन किया गया था। वर्तमान में ख. नं. 137 प्रतिवादीगण 1 ता 4 की गैर खातेदारी में अंकित है जो बिल्कुल गलत है। प्रकितवादीगण 1 ता 4 के पिता जगन्नाथ को पूर्व में उक्त ख. नं. की खातेदारी दे दी गई थी और उसके आधार पर ही वादीगण के नाम विक्रय पत्र पंजीयन कर दिया गया था। उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में अस्तित्व में है, किसी न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया है इसलिये यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी का श्रीमान की सेवा में पेश कर निवेदन है कि वादीगण को ख. नं. 137 रकबा 0.31 है0 में से 0.20 है0 भूमि का खातेकदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 4 आये दिनल वादीगण के कब्जे में मजामहत करते है इसलिये उन्हे पाबन्द किया जावे कि वि उक्त भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत नही करे तथा उक्त भूमि अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नही करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी प्रहलाद पुत्र पोखर, पी. डब्ल्यू–2 नारायण पुत्र हीरा जाति गुर्जर, पी. डब्ल्यू–3 कालूराम पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी माताजी का थांवला पेश किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श–1 रजि. विक्रय पत्र का आवेदन पत्र, प्रदर्श–2, रजि. विक्रय पत्र की छाया प्रति, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संम्वत 2073–76, प्रदर्श–4 नामान्तकरण संख्या 292 ग्राम बनेड़िया खुर्द, प्रदर्श–5 नामान्तकरण रजि.ग्राम बनेड़िया खुर्द संख्या 78, प्रदर्श–6 जमाबन्दी खतौनी संम्वत 2057–60, प्रदर्श–7 जमाबन्दी संम्वत 2049–52, प्रदर्श–8 जमाबन्दी संम्वत 2057–60, प्रदर्श–9 जमाबन्दी संम्वत 2053–56 पेश किये है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने वाद अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता जगन्नाथ जाट से ख. नं. 32 रकबा 0.49 है0, ख. नं. 33 रकबा 0.59 है0, ख. नं. 137 रकबा 0.31 है0, में से क्रमशः 0.24, 0.26, 0.20 है0 जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1994 को क्रय की है जिसमें से ख. नं. 32 रकबा 0.49 है0, ख. नं. 33 रकबा 0.59 है0, में से क्रमशः 0.24, 0.26, का नामान्तकरण वादी गण के नाम खोल दिया गया है परन्तु ख. नं. 137 रकबा 0.20 है0 का नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं खोला गया है। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–5 के नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बनेड़ियाखुर्द के कॉलम 3 में ख. सं. 137 रकबा 0.31 है0 अंकित है, कॉलम 7 में जगन्नाथ पुत्र औकार जाट सा. थांवला गैर खातेदार व कॉलम 16 में दिनांक 15.06.92 को पटवार हल्का ने लिखा है कि आवंटी के 10 साल पूर्ण हो गये है अतः आदेशानुसार खातेदारी का नामान्तकरण भरकर पेश है, जिसका कैम्प साण्डला में तहसीलदार दिनांक 17.06.92 नामान्तकरण स्वीकार है। अर्थात जगन्नाथ को खातेदारी दिनांक 17.06.92 को प्राप्त हो गई थी। अतः ख. नं. 137 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करने पर क्रेता के नामान्तकरण खुलना कानूनसम्मत है। अतः वादीगण को हाल ख. नं. 137 रकबा 0.31 है0 में से 0.20 है0 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीसंख्या 1 ता 4 का नाम हटाया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल ख. नं. 137 रकबा 0.20 है0 की हद तक वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं कर, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 05.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली